

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PHED)2021/एफसीए/प्रमुवसं/२०१५

दिनांक २५/७/२५

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर।

विषय:- Diversion of 9.5611 ha of forest land in favour of Executive Engineer water Resource Dholpur for Constrution of KALITEER LIFT SCHEME, DHOLPUR (RAJASTHAN) (FP/RJ/WATER/153642/2022).
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 3035 दिनांक 03.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित संशोधित प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने के उपरांत निम्नानुसार सूचना दिया जाना अपेक्षित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक रण0 बाघ परि0 सवाई माधोपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट III नहीं भरा गया है।
2. उप वन संरक्षक, व0जी0, धौलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है।
3. पार्ट II में संलग्न वृक्ष गणना पत्रक (जो कि वर्ष 2022 में बनाया) के आधार पर 23582 वृक्ष होना पाया गया है जबकि पार्ट II में 1296 वृक्ष ही अंकित किया गया है। नवीन वृक्ष गणना रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक द्वारा अपनी वन्यजीव टिप्पणी में मिटिगेट मेजर्स के साथ प्रस्ताव में अभिशंषा की गयी किन्तु मिटिगेट मेजर्स के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। विभागीय बेबपोर्टल पर उपलब्ध के0एम0एल0 फाइल अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि (NFL) वन क्षेत्र में पड रही है। उप वन संरक्षक स्पष्ट करे।
6. प्रस्तावित वन भूमि में वनस्पति आच्छादन अच्छा है ऐसी स्थिति में प्रस्तावित गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर वन भूमि में कितने वृक्ष लगाये जावेंगे एवं अवशेष वृक्ष कहाँ लगाये जावेंगे। उक्त की KML file, GT Sheet, DGPS map and Sutaibility Certificate दिया जाना प्रस्तावित है।
7. एन0पी0वी0 की गणना छत्र घनत्व अनुसार नहीं की गयी है। राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में स्थित गैर वन भूमि की एन0पी0वी0 राशि की गणना नहीं की गई है।
8. प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।
9. यूजर ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत विकल्प विवरण में दो वन मंडल के नाम यथा एन0सी0एस0 एवं धौलपुर वन्यजीव टेराटोरियल डिविजन लिखा है जबकि प्रस्ताव में वन मंडल एक है एवं दो व0जी0अभयारण्य है।
10. प्रस्ताव में वन्यजीव प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की 72वीं बैठक दिनांक 25.4.2023 में उक्त प्रस्तावित को डेफर कर दिया गया था। वस्तुस्थिति से अवगत कराया जावे।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जावे ताकि प्रकरण को स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को भिजवाया जा सके।

भवदीया,

Shivan
(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक २५/७/२५

क्रमांक: एफ. 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवसं/२०१५-१६

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, धौलपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड-धौलपुर।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर